जिला एवं सत्र न्यायालय महोबा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मोस्ट अर्जेन्ट थ्रू स्पीड पोस्ट/ई–मेल पत्रांक संख्या–6221/एडमिन 'जी0–1'/2019, इलाहाबाद दिनांकित–14.05.2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय महोबा में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को 15 जून 2019 तक आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि–

1– परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु दिनांक–31.05.2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु नियुक्ति अनुज्ञप्ति जारी हो।

2– उपरोक्त नियुक्ति अनुज्ञप्ति समुचित परिचालन हेतु जिला सूचना अधिकारी महोबा को भेजी जाए।

3– नियुक्ति अनुज्ञप्ति की एक प्रति नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को, जनपद न्यायालय महोबा के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजी जाए।

आज्ञा से

/

(महताब अहमद)

जनपद न्यायाधीश,

महोबा।

उक्त आदेश की एक–एक प्रति मय नियुक्ति अनुज्ञप्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

1– जिलाधिकारी महोबा

2– जिला सूचना अधिकारी महोबा।

3– नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग

आज्ञा से

18/5/2019

(महताब अहमद)

जनपद न्यायाधीश,

महोबा।

जनपद न्यायाधीश
महोबा

नियुक्ति अनुज्ञप्ति

<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महोबा</u>।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपद न्यायालय महोबा के पारिवारिक न्यायालय हेतु परामर्शदाता के एक पद के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक स्वयं द्वारा या जरिए पंजीकृत डाक द्वारा मेरे प्राशासनिक कार्यालय में दिनांक–31.05.2019 तक प्रस्तुत करें। इसके पश्चात किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेगें।

1– नाम–

फोटो

2– पिता/पति का नाम

3– जन्मतिथि अंको में–

शब्दों में–

4– स्थाई पता पिन कोड संहित–

मोबाईल नम्बर–

5– पत्र व्यवहार का पता–

6– ई–मेल आई0डी0 (यदि हो)–

7– उ0प्र0 में निवास की अवधि–

8– शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9– अन्य कोई विशेष योग्यता–

10– क्या आवेदक किसी सेवा में है अथवा था (पूर्ण विवरण सहित अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें अथवा सेवा से विलग होने का कारण)–

11– चरित्र प्रमाण पत्र दो–

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

एतद् द्वारा घोषण करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियां मेरी जानकारी में सत्य हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी तथ्य की असत्यता पाये जाने पर दण्ड का पात्र होऊंगा/होऊंगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1– विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2– आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

3– राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मा0 उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

4– परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

5– परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

6– समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री और समाज सेवा का अनुभव हो, जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और जिन्हें पारिवारिक काउंसिलिंग में दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

7– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

18/5/2023

जनपद न्यायाधीश

महोबा।

जनपद न्यायाधीश
महोबा